



प्रेषक

कल्याण आयुक्त,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
देज नं 29-30, पॉकेट-2,
सैकटर-4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
3. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद तथा पानीपत।
4. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
5. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य में।
6. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक : 21970-22120

दिनांक : 26-9-2017

विषय : हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित तीन योजनाओं (साईकल, सिलाई मशीन तथा एलटीटी० सी०) के अन्तर्गत पात्रता हेतु वेतन सीमा 10,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 18,000 रुपये मासिक करने तथा अन्य संशोधन करने वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्यस्त अंशदाता श्रमिकों को नई साईकल खरीदने, नई सिलाई मशीन खरीदने तथा एलटीटी० सी० योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तीन योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें पात्रता हेतु वेतन सीमा 10,000 रुपये मासिक निर्धारित की हुई है जिसके कारण काफी श्रमिक उक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लाभ की पात्रता के दायरे से बाहर रह जाते हैं तथा श्रमिक वर्ग द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर मांग की जा रही है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित मासिक वेतन सीमा को बढ़ाया जाए।

उक्त वर्गित रिथ्टि में श्रमिकों की मांग के मध्यनजर श्रमिक हित में माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 14-09-2017 से उक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित मासिक वेतन सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है तथा हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण



-2-

बोर्ड की तर्ज पर नई साईकल तथा नई सिलाई मशीन खरीद योजना के अन्तर्गत बिल प्रस्तुत करने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है।

bharti

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
BS

पृ० क्रमांक : २२१२१-२२
दिनांक : २६-९-२०१७

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन०सी०आर०), गुरुग्राम।
2. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

bharti

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।
BS

प्रेषक

कल्याण आयुक्त,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
वेज नं ० २९-३०, पॉकेट-२,
सैकटर-४, पंचकूला।

सेवा में

१. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
२. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
३. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद तथा पानीपत।
४. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
५. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य में।
६. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक : २१८१५—९६७

दिनांक : २६-९-२०१७

विषय : हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना “मृतक औद्योगिक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों का वित्तीय सहायता” के अन्तर्गत एक लाख रुपये से बढ़ाकर २ लाख रुपये करने वारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा “मृतक औद्योगिक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों का वित्तीय सहायता” के अन्तर्गत अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिजिक श्रमिकों की संबंधित संस्था की परीषि से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता मृतक अंशदाता श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को प्रदान की जाती थी।

श्रमिकों की मांग के मध्यनजर माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा श्रमिक हित में दिनांक १४-०९-२०१७ से उक्त योजना के अन्तर्गत अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिजिक मृतक श्रमिकों की



—2—

विधायाओं/आश्रितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

balsanvi

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

पूर्ण क्रमांक : 21968-69

दिनांक : 26-9-2017

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन०सी०आर०), गुरुग्राम।
2. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।

balsanvi

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

B